संख्या-07/2021/233 जेएल(2)/22-3-2021-100(131)/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2021*

विषय- जिला कारागार चित्रकूट के विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-06/2021/233जेएल/22-3-2021-100(131)/2015, दिनांक 14-02-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिला कारागार चित्रकूट के विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह, जो मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4 आजमगढ़ के आदेश दिनांक 17.12.2019 के अनुसार सम्प्रति जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है, को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार ललितपुर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 14-02-2021 में आंशिक संशोधन करते हुए विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह को जिला कारागार ललितपुर के स्थान पर जिला कारागार कासगंज में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14-02-2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-07 /2021/233जेएल(3)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट, आजमगढ़, ललितपुर एवं कासगंज।
5- पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट, आजमगढ़, ललितपुर एवं कासगंज।
6- अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़ एवं चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के जिला कारागार कासगंज में स्थानान्तरित/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार ललितपुर एवं कासगंज।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।